

समाहरणालय, शिवहर

(राजस्व प्रशाखा)

सैरात की बंदोवस्ती हेतु आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 153(9)/रा0 दिनांक 15.02.2018 में विनिर्दिष्ट वित्तीय शक्ति के आलोक में शिवहर जिलान्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए देकुली मेला सैरात की बंदोवस्ती हेतु आम सूचना का प्रकाशन इस कार्यालय के ज्ञापांक 139/रा0 दिनांक 06.03.2021 को प्रकाशित की गई थी, जिसके आलोक में निर्धारित तिथि 24.03.2021, 25.03.2021 एवं 26.03.2021 को कोई भी डाकवक्ता उपस्थित नहीं हुए। पुनः उक्त सैरात की विभागीय वसूली हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 177/रा0 दिनांक 01.04.2021 द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी, पिपराही को निदेश दिया गया है। फलतः देकुली मेला सैरात की बंदोवस्ती कॉलम 5 (क) में अंकित तिथि को 11.30 बजे पूर्वाह्न में समाहर्ता, शिवहर के कार्यालय प्रकोष्ठ में होगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को बंदोवस्ती नहीं होने पर सैरात के नाम के सामने अंकित तिथि (ख) एवं (ग) को उपरोक्त निर्धारित समय एवं स्थान पर बंदोवस्ती की जायेगी। देकुली मेला सैरात के सुरक्षित जमा निर्धारण वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए मो0 20,02,715.00 की स्वीकृति राजस्व प्रभारी पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 828 (अनु0) दिनांक 10.03.2021 द्वारा दी गई है।

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा	डाक की तिथि
1	पिपराही	देकुली मेला	20,02,715.00	(क) 27.04.2021 (ख) 27.04.2021 को डाक नही होने की स्थिति में दिनांक 28.04.2021 को (ग) 28.04.2021 को डाक नही होने की स्थिति में दिनांक 29.04.2021 को अंतिम रूप से

बंदोवस्ती लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निश्चित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र (अद्यतन) एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उन्हें डाक में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। साथ ही वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु Social Distancing सहित अन्य सुरक्षात्मक उपायो का अनुपालन करेंगे। सुरक्षित जमा का 10 (दस) प्रतिशत अग्रधन राशि के रूप में जमा करना होगा तथा शर्त के अनुसार बंदोवस्ती की पूर्ण राशि उसी समय जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जप्तकर ली जाएगी। राजस्व विभागीय पत्रांक 505(9)/रा0 दिनांक 16.08.2018 के अनुसार सफल डाक वक्ता को बंदोवस्ती राशि का स्टाम्प शुल्क 6% एवं निबंधन शुल्क 2% यानि कुल 8% जमा करना होगा। बंदोवस्तीदार सरकारी दर पर कौड़ी वसूल करेंगे। डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति भी विचारणीय हो सकता है, ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रश्रय न मिले।

समाहर्ता को डाक के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/-

समाहर्ता,
शिवहर।

8

ज्ञापांक:- 194/रा0,

शिवहर,

दिनांक:- 08.04.2021

प्रतिलिपि:-सभी अंचल अधिकारी, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा एक-एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी अपने अंचल नाजीर, हल्का कर्मचारी एवं अभिलेखों के साथ डाक की तिथि को निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरी / अपर समाहर्ता के समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। साथ ही अपने अंचल से संबंधित सैरात का अभिलेख संधारित कर साथ लावेंगे।

प्रतिलिपि:-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सैरात की डाक की सूचना पंचायत/पंचायत समिति के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यह भी निदेश दिया जाता है कि सैरात की डाक हेतु निर्गत आम सूचना की प्रति सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रकाशित करेंगे ताकि आम लोगों के माध्यम से भी समुचित प्रचार-प्रसार हो सकें।

प्रतिलिपि:-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इसका प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा एक-एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।


प्रतिलिपि:-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को बेबसाईट पर आम सूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे इसका प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से अपने स्तर से करायेंगे तथा आम सूचना की एक-एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-जिला सहकारिता पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यदि संबंधित ग्राम पंचायत या प्राथमिक सहकारी सहयोग समिति सैरात की बन्दोवस्ती उच्चतम डाक की राशि पर लेना चाहे तो डाक की तिथि से पूर्व अपनी अनुशंसा भेजने की कृपा करें।


समाहर्ता,
शिवहर।